जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों की फांसी की सजा रद्द, सभी आरोपी बरी

राजस्थान हाई कोर्ट ने विशेष अदालत के, फांसी की सजा के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि, जांच अधिकारियों को कानून का ज्ञान ही नहीं है

जयपुर, 29 मार्च (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 मई 2008 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अदालत ने चार आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और सलमान को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही अदालत ने सलमान को घटना के समय नाबालिग मानते हुए उसके प्रकरण को सुनवाई के लिए किशोर न्यायालय में भेज दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश समीर जैन की बैंच ने यह आदेश आरोपियों की अपीलों और राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, यह सही है कि घटना में कई लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसके अलावा लोगों की भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई है, लेकिन कोर्ट भावनाओं से नहीं बल्कि कानून के आधार पर फैसला देता है। ऐसा लगता है कि जांच अधिकारियों को कानून की जानकारी ही नहीं थी। इसलिए प्रकरण में लचर जांच करने वाले जांच अधिकारियों के खिलाफ डीजीपी जांच कर कार्रवाई करें और मुख्य सचिव इसकी मॉनिटरिंग करें।

- **13 मई 2008 को जयपुर शहर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के चार आरोपियों, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आज़मी और सलमान को बरी कर दिया गया तथा सलमान को घटना के समय नाबालिग मानते हुए किशोर न्यायालय भेज दिया गया।**
- **जस्टिस पंकज भंडारी व समीर जैन की बैंच ने अपने आदेश में कहा, यह सही है कि, इन धमाकों में कई लोगों की जानें गईं और लोगों की भावनाएं इनसे जुड़ी हैं, पर कोर्ट भावनाओं पर नहीं कानून पर फैसला देता है।**
- **बैंच ने कहा, ऐसा लगता है कि, जांच अधिकारियों को कानून की जानकारी ही नहीं थी। इसलिए लचर जांच करने वाले जांच अधिकारियों के खिलाफ डी.जी.पी. जांच करें व कार्यवाही करें तथा मुख्य सचिव इसकी मॉनिटरिंग करें।**

यह मानी कमियां

अदालत ने बचाव पक्ष की उन दलीलों को माना है, जिसमें पुलिस जांच पर सवाल उठाए गए थे। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया की घटना के अगले दिन ही पुलिस ने साइकिल विक्रेताओं की बिल बुक जब्त कर ली थी, लेकिन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट चार माह बाद लिए गए। इसके अलावा धमाका करने में काम ली गई साईकिलों और बिल बुक की साइकिलों के चेचिस नंबर अलग थे। वहीं आरोपियों की शिनाख्त परेड के दौरान जांच अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा जिस साइबर कैफे से विस्फोट करने की जिम्मेदारी लेने का ईमेल भेजने की बात कही गई, वहां से कोई रिकॉर्ड जब्त नहीं किया गया ओर ना ही जिन टीवी चैनलों में यह ईमेल भेजे गए, उन लोगों के बयान लिए गए। आरोपियों की ओर से यह भी कहा गया की आरोपियों का घटना के दिन दिल्ली से बस के जरिए आना बताकर उसी दिन साईकिल खरीद कर वारदात को अंजाम देकर ट्रेन से वापस दिल्ली जाने की बात कही गई है। जबकि पुलिस ने सहयात्रियों के बयान, सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग और टिकट आदि से जुड़े साक्ष्य पेश नहीं किए। वहीं पुलिस ने दिल्ली के जामा मस्जिद के सामने से छर्रे खरीदना बताया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित है की मृतकों के शरीर में मिले छर्रे अलग थे। राज्य सरकार की ओर से डेथ रेफरेंस में कहा गया कि निचली अदालत ने अभियुक्तों को बम ब्लास्ट का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के पास साक्ष्य हैं। ऐसे में अभियुक्तों की फांसी की सजा को कन्फर्म किया जाए।

गौरतलब है कि, मामले में पुलिस ने शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और सलमान को गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने 18 दिसंबर, 2019 को शाहबाज हुसैन को बरी कर अन्य चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। विशेष न्यायालय के फैसले के करीब आठ माह बाद अभियोजन पक्ष ने चांदपोल हनुमान मंदिर के पास मिले जिंदा बम को लेकर इन पांचों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। इस आरोप पत्र में शाहबाज हुसैन को हाईकोर्ट पूर्व में जमानत मिल चुकी है।

त्रिपुरा में बिजली गिरने से एक की मौत, 10 अन्य झुलसे

अगरतला, 29 मार्च (वार्ता)। त्रिपुरा के उनाकोटि जिले में कुमारघाट के राजकांधी गांव में बिजली गिरने से 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राजकांधी गांव में मंगलवार रात को आकाशीय बिजली गिरने से देबजॉय देबबर्मा नाम के एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि उनकी पुत्री और पुत्र

- **त्रिपुरा के एक गांव में मंगलवार देर रात को आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई।**

सहित आठ लोग घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि घायलों को स्थानीय लोगों ने बचाया और पीड़ितों को फातिक्रॉय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इनमें से तीन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें जिला अस्पताल के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

गौरतलब है कि पूर्वी भारतीय राज्यों और बंगलादेश में लंबे समय तक सूखे के बाद मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान वर्षा, आंधी के साथ बिजली चमकना व गिरना आम घटना है।

करोना के मामलों में बड़ा उछाल, एक्टिव केस 11 हजार से अधिक हुए

बुधवार को देश में करोना के 2,144 नये मामले सामने आये व 4 लोगों की मौत हुई

नई दिल्ली, 29 मार्च (वार्ता)। देश में पिछले 24 घंटे में करोना वायरस संक्रमण से चार मरीजों की मौत हुई है और सक्रिय मामलों में वृद्धि जारी है तथा इस दौरान संक्रमण के 922 सक्रिय मामले बढ़े हैं।

इस बीच देश में करोना टीकाकरण जारी है और इसी क्रम में पिछले 24 घंटों में 11,336 लोगों को टीका लगाया गया है। अब तक देश में 2,20,65,76,697 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 922 सक्रिय मामले बढ़ने से इनकी कुल संख्या बढ़कर 11,903 हो गयी है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,47,09,676 हो गयी है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,848 हो गयी है। इसी अवधि में करोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 1,222 बढ़कर 4,41,66,925 पर पहुंच गया है।

देश में पिछले 24 घंटों के दौरान केरल में सक्रिय मामलों की संख्या में सर्वाधिक 215 की वृद्धि हुई है। इसके

- **देश में पिछले 24 घंटों के दौरान केरल में सक्रिय मामलों की संख्या में सर्वाधिक 215 की वृद्धि हुई है। केरल में बुधवार को करीब कोविड के 450 नये मामले दर्ज किये गये।**

अलावा, दिल्ली में 133, महाराष्ट्र में 131, गुजरात में 127, हिमाचल प्रदेश में 79, गोवा में 63, हरियाणा में 50, पंजाब में 44, उत्तर प्रदेश में 42, तमिलनाडु में 26, आन्ध्र प्रदेश में 14, छत्तीसगढ़ में 11, पश्चिम बंगाल में 10, सिक्किम और उत्तराखंड में छह-छह, चंडीगढ़ में तीन, झारखंड और ओडिशा में दो-दो सक्रिय मामले बढ़े हैं तथा कर्नाटक में एक, महाराष्ट्र में तीन मरीजों की करोना से मौत हुई है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में एक बार फिर से करोना पैर पसारने लगा है।

दोनों राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं।

दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 300 नए करोना मामले सामने आए हैं, कोरोना से 163 लोग ठीक हुए और 2 मौतें हुई हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी दिल्ली में 806 सक्रिय मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 483 नए मामले सामने आए और 317 लोग ठीक हुए। करोना के कारण 3 लोगों की मृत्यु होई। अभी राज्य में सक्रिय मामले 2506 हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की स्थिति और जन स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों पर बुधवार (22 मार्च) को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीन पवार, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के राजीव बहल, नीति आयोग से वीके पॉल, गृह सचिव अजय भल्ला, पीएमओ के अधिकारीऔर अन्य मौजूद रहे थे।

'राहुल के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भयभीत है। भाई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर भी भाजपा के डर का एक कारण है।''

लेकिन राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन पर जनता की प्रतिक्रिया की पहली परीक्षा कर्नाटक में होगी, जहाँ दो माह से भी कम समय बाद चुनाव होने हैं। इसकी एक परीक्षा उस समय भी होगी, जब चुनाव आयोग वायनाड लोकसभा चुनाव क्षेत्र के उप चुनाव करायेगा।

कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही सक्रिय एवं गतिशील हो गये थे तथा कांग्रेस के जनसम्पर्क अभियान, जिसे दक्षिण भारत में जबरदस्त समर्थन मिला था, की जो सार्वजनिक प्रतिक्रिया हुई, उसके चलते कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश नई ऊँचाईयाँ छू रहा है। केरल में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हैं तथा अगर वहाँ इस समय उप चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की बड़े आराम से जीत होने की उम्मीद है।

कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान, राहुल गांधी को अदालत द्वारा दी गई सजा को भाजपा संभवत: सबसे प्रमुख मुद्दा बनायेगी तथा कांग्रेस नेता को एक अपराणी के रूप में तथा बार-बार गलती करने वाले नेता के रूप में खारिज करने की कोशिश करेगी। ज्ञातव्य है कि कर्नाटक में भाजपा सत्ता विरोधी लहर के साथ ही, भ्रष्टाचार से उसकी छवि को हुये नुकसान से जूझ रही है।

एक ऐसे राज्य में, जहाँ कांग्रेस अब भी मजबूत है तथा उसकी गिनती ताकतवर पार्टियों में होती है, उसके पास भाजपा की इस बात से लड़ने का आधार है। इसका एक कारण यह भी है कि राष्ट्रीय स्तर के विपरीत, इस राज्य में पार्टी को क्षेत्रीय स्तर पर मीडिया का तथा स्थानीय मुफस्सल प्रैस कुछ समर्थन भी हासिल है। जनता दल (सेर्कुलर) नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारास्वामी जो त्रिकोणीय संघर्ष कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला करते हैं, ने भी डिस्क्वालिफिकेशन की निन्दा की है तथा कहा है कि यह घटना भाजपा द्वारा अपनाई जा रही बदले की राजनीति का प्रतिबिम्ब है।

कांग्रेस डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जवाबी हमला शुरु कर ही चुकी है।

पूर्व मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया ने कहा, ''निराधार मुकदमों तथा दुष्प्रचार के जरिये बड़ी राहुल गांधी की आवाज को खामोश कर पाना असंभव है।'' उन्होंने आगे कहा, ''कायर लोग झूठा दुष्प्रचार करते हैं, नकली धमकियाँ देते हैं तथा इस सबके आगे झुकने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। न्याय की लड़ाई जारी रहेगी तथा अंतिम जीत हमारी ही होगी।''

पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ''भाजपा सरकार उन सभी लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर कर रही है, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। आज राहुल गांधी (का नम्बर) है। कल आपका (नम्बर) होगा।''

ममता ने अपना पुराना प्रिय जाना पहचाना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं। राज्य सरकार के सभी प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर हुई रिश्वतखोरी और चोरियों तथा चालाकी से की गई नियुक्तियों से जनता का ध्यान हटाने के लिये, ममता बनर्जी ने शहर की हाई प्रोफाइल रैड रोड पर धरना शुरु कर दिया। वे अम्बेडकर की मूर्ति के पास बैठेंगी तथा केन्द्र के समक्ष विभिन्न माँगें रखेंगी।

ममता बनर्जी बहुत ही चतुर राजनेता हैं, तथा ज़मीन पर, आम जनता में जो कुछ चल रहा है, उसे अच्छी तरह समझती हैं। अभी हाल ही में, एक उप चुनाव में हुई तृणमूल कांग्रेस की हार से उन्हें यह संकेत मिल गया है कि पार्टी की जमीनी पकड़ ढ़ीली हो रही है। ऐसी स्थिति में, वे सब कुछ ठीक करने के लिये स्वयं ही निकल पड़ी हैं।

इसके अतिरिक्त सड़क पर उतरने के ममता के इस कदम के राजनैतिक महत्व को स्थानीय निकायों के आसन्न चुनावों तथा 2024 के आम चुनावों के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है।

लेकिन उनकी सरकार पर प्रस्तुत और प्रदर्शित करने के लिये कुछ भी नहीं है। राज्य की वित्तीय स्थिति जर्जर हो गई है तथा कर्ज का बोझ सहनशक्ति से बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि राज्य किसी भी प्रकार के निवेश को आकर्षित करने में बुरी तरह असफल रहा है।

युवाओं के लिये कोई रोजगार नहीं हैं तथा पार्टी द्वारा की गई अत्यधिक एवं निरंकुश चोरी के चलते, पार्टी की विश्वसनीयता करीब-करीब समाप्त हो गई है।

हमेशा की तरह, पूर्ववर्ती वाम मोर्चे की कम्यूनिस्ट सरकारों तथा उसके बाद ममता बनर्जी की सरकारों की मुख्य शिकायत यही रही है कि केन्द्र पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रहा है। राज्य की वर्तमान बहुत ही खराब स्थिति में, जब न तो स्थानीय रोजगार उपलब्ध हैं और न औद्योगिक खुशहाली पैदा करने वाले कोई निवेश ही है, राजनेता इस सारी दुर्दशा एवं दुर्गति के लिये सिर्फ की निन्दा करेंगे, केन्द्र को गालियाँ देंगे।

इस सारे मामले के पीछे तथ्य यह है कि कई प्रमुख मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों की गिरफ्तारियों तथा कारावास-सजाओं के फलस्वरुप, राज्य प्रशासन पूरी तरह पंगु तथा अस्त व्यस्त हो गया है।

विभिन्न सरकारी योजनाओं के फंड का दुरुपयोग हुआ है। राज्य सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं तथा इनके तहत पैसे के उपयोग का हिसाब-किताब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ऐसी स्थिति में, केन्द्र ने मनरेगा जैसी केन्द्रीय योजनाओं के लिये राज्य को नये फंड देने में असमर्थता व्यक्त कर दी है। इस प्रकार के प्रकरणों की सूची अनन्त है। इन आरोपों का खंडन करते हुये, राज्य सरकार का कहना है कि खर्चों का सारा विवरण केन्द्र को उपलब्ध कराया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, राज्य का बजट घाटा ऐसी स्थिति में आ गया है कि रिज़र्व बैंक की ओर से नया समायोजन भी बंद किया जा रहा है विभिन्न बिन्दुओं पर, कुछ स्थापित मानकों को बाईपास करते हुये, कुछ वित्तीय समायोजन करना ही पड़ा है।

ऐसी स्थिति में, राज्य सरकार को यही एक सुविधाजनक तरीका लगा है कि केन्द्र की भेदभाव पूर्ण तथा कथित रूप से बकाया पैसे को रोकने वाली छवि बनाई जाये।

राज्य सरकार यही रुख अपनाते हुये तथा यही निराधार कारण देते हुये, राज्य कर्मचारियों से चल रही लड़ाई को निपटाना चाहती है जो केन्द्र के समकक्ष बढ़े हुये महँगाई भत्ते की माँग कर रहे हैं। राज्य-कर्मचारी इस माँग को लेकर एक महीने से धरने पर बैठे थे, जिसे उन्होंने फिलहाल स्थगित कर दिया है।

ममता बनर्जी अपनी स्थिति को ठीक करने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन स्थिति जस की तस, उतनी ही मुश्किल बनी रहती है।

इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि तृणमूल के दिग्गज नेताओं और गिरफ्तारियों तथा मुद्रा की जमाखोरी तथा उसके अम्बारों के खुले प्रदर्शन के चलते सारा विश्वास समाप्त हो गया है। इन नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों की सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों की सूची से जनसाधारण की आत्म संतोष को तगड़ा झटका लगा है।

'मोदी के सामने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खड़गे से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने के.सी. वेणुगोपाल के साथ एक मीटिंग की।

एक सीनियर नेता ने कहा कि ''जयराम रमेश और के.सी. वेणुगोपाल जैसे महारथी नेताओं की कमजोरियों के बीच राहुल गांधी को अन्तत: जेल जाना पड़ सकता है।

एक पार्टी, जो कि नरेन्द्र मोदी की प्रबल शक्ति के साथ संघर्ष कर रही है, राहुल गांधी और उनके साथ किंडरगार्टन के दिशाहीन भागने वाले बच्चों की भांति प्रतीत हो रही है।

लश्कर के तीन आतंकवादियों के खिलाफ चार्जशीट पेश

नई दिल्ली, 29 मार्च (वार्ता)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हैदराबाद में पिछले वर्ष दशहरा के दौरान हैंड ग्रेनेड (हथगोला) के हमले की साजिश के मामले में पकड़े गये तीन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किये हैं। ये तीनों आतंकवादी लश्करे तैयबा के लिए कथित रूप से काम करते थे।

एनआईए ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि इस मामले में विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद लश्करे तैयबा के काम करने वाले तीन व्यक्तियों मोहम्मद अब्दुल वाजिद उर्फ जाहेद, समीउद्दीन उर्फ समी और माजहसन फारूक उर्फ माज के खिलाफ आतंकवाद के लिए धन जुटाने, विस्फोटक को उठाकर लाने और इस आतंकवादी संगठन के लिए काम करने वालों की भर्ती करने का काम अंजाम देने का अभियोग पत्र बुधवार को दायर किया गया। इस मामले की पहले हैदराबाद पुलिस जांच कर रही थी।

लक्षद्वीप के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजधानी है। फैज़ल ने हाल ही में सदस्यता बहाली में देरी किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कानून विद राहुल गांधी को अयोग्य करार दिए जाने को चुनौती देने के लिए इस मामले में कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे है ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अब उन्हे हायर कोर्ट द्वारा राहुल की सजा को निलम्बित किए जाने पर फोक्स करना होगा। रिप्रजेन्टेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1951 की धारा 8 (3) के अनुसार, अगर किसी एम.पी. एम.एल.ए. या एम.एल.सी. पर कोई अपराध सिद्ध हो जाता है तथा उसे कम से कम दो वर्ष की सजा हो जाती है तो वह उस सदन के लिये अयोग्य हो जाता है तथा ''उसे सजा की तिथि से डिस्क्वालिफाईड कर दिया जायेगा तथा उसकी रिहाई के छः साल बाद तक डिस्क्वालिफाईड रहेगा।'' लेकिन अगर, उक्त जन प्रतिनिधि 30 दिन के अन्दर उस अपराध-सिद्धि तथा सजा को निलम्बित करा लेता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन पलट जाती है।

किरेन रिजिजू के खिलाफ 300 से अधिक वरिष्ठ वकीलों ने पत्र लिखा

नई दिल्ली, 29 मार्च। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए बुधवार को एक खुले पत्र में देश भर के 300 से अधिक वकीलों ने मांग की कि, केन्द्रीय मंत्री को न्यायाधीशों के खिलाफ की गई टिप्पणियों को वापस लेना चाहिए।

पत्र में वकीलों ने कहा है कि, हम देश भर की विभिन्न अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकील, केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ एक मीडिया हाउस द्वारा लाइव टेलीकास्ट किए गए अनुचित हमले की निंदा करते हैं। कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों के खिलाफ राष्ट्र-

- **पत्र में वकीलों ने रिजिजू से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणियां वापस लेने की मांग की है।**

विरोधी के आरोप और उनके खिलाफ प्रतिशोध की नग्न धमकी, हमारे महान राष्ट्र के सार्वजनिक प्रवचन में एक नई गिरावट को दर्शाती है।

323 हस्ताक्षरकर्ताओं में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, अरविंद दातार, इकबाल छागला, जनक द्वारकादास, श्री हरि अणे, राजू रामचंद्रन, दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंह, राजशेखर राव और संजय सिंघवी शामिल हैं।18 मार्च को नई दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अपने संबोधन में, रिजिजू ने भारतीय न्यायपालिका को कमजोर करने और इसे सरकार के खिलाफ करने के लिए ''एक कैलिब्रेटेड प्रयास'' कहा था। हाल ही में, न्यायाधीशों की जवाबदेही पर एक संगोष्ठी हुई थी। लेकिन किसी तरह पूरा सेमिनार इस बात पर केंद्रित हो गया कि कार्यपालिका न्यायपालिका को कैसे प्रभावित कर रही है। कुछ न्यायाधीश ऐसे हैं जो कार्यकर्ता हैं और एक भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं, जो विपक्षी दलों की तरह न्यायपालिका को सरकार के खिलाफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

'राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखा जाये'

नई दिल्ली, 29 मार्च (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि, जिस क्षण राजनीति और धर्म को अलग कर दिया जाएगा, नफरत फैलाने वाले भाषण बंद हो जाएंगे।

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरथना की बैंच ने नफरती भाषण और बयानों के मामले में राज्य सरकार की ओर से समय पर कार्यवाही नहीं करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

पीठ ने नफरती भाषणों और बयानों के संदर्भ में कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता थे। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग उन्हें सुनने आते थे। अब, जिन लोगों के पास कहने को

- **सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि, केवल इसी स्थिति में ही देश में नफरत फैलाने वाले भाषण बंद हो सकते हैं।**

कोई खास चीज नहीं है, वे इस तरह (हेट स्पीच) के भाषण दे रहे हैं।

'हेट स्पीच' के संबंध में बैंच ने कहा, सरकारें समाज से इस अपराध को खत्म करने के लिए एक तंत्र क्यों नहीं विकसित कर सकतीं? बंधुत्व का विचार काफी था, लेकिन हमें यह कहते हुए खेद है कि उसमें दरारें आ रही हैं।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि बड़ी समस्या यह है कि राजनेता धर्म का इस्तेमाल करते हैं। बैंच ने कहा,संयम होना चाहिए। इस देश के नागरिकों को शपथ लेनी चाहिए कि वे दूसरों को अपमानित नहीं करेंगे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल खतरे का एक दुष्चक्र है, जो सरकारों द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं करने के कारण चल रहा है। बैंच केरल के शाहीन अब्दुल्ला द्वारा महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ घटनाओं की एक श्रृंखला में नफरत फैलाने वाले भाषणों की जांच करने में असमर्थता के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

नामीबिया से आई मादा चीता ने दिया 4 शावकों को जन्म

इंदौर, 29 मार्च। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से खुशखबरी आई है। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से आए चीतों में से एक मादा चीता की मौत की दुखद खबर के बाद अब एक साथ 4 शावकों का जन्म हुआ है। इन चारों शावकों को जन्म दिया है सियाया नाम की मादा चीता ने।

इन शावकों के जन्म लेने की घटना हिंदुस्तान में 75 साल बाद पहली बार हुई है। शावकों के जन्म लेने की खबर के बाद से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। बता दें कि दिसंबर में खबर आई थी कि दो मादा चीता गर्भवती हो सकती हैं, जिसके बाद अब ये खुशखबरी आई है।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी ये खबर ट्विटर पर साझा की है। उन्होंने चीता शावकों के जन्म लेने पर वन्यजीव प्रेमियों को बधाई दी है। साथ ही कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के चलते ऐसा होना संभव हो पाया है। उन्होंने कुनो नेशनल पार्क में तैनात सभी रक्षकों को भी बधाई दी है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे, मतगणना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनाव परिणाम ना केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता का असली खुलासा करेंगे बल्कि इनसे यह भी पता चलेगा कि विवादास्पद कारोबारी गौतम अडानी के साथ उनके निकट संबंधों के हाल ही हुए रहस्योद्घाटन के बाद भी क्या देश की जनता पर उनकी पकड़ बरकरार है या उसमें कमी आई है।

विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर मोदी इस माह एक-दो बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। इन दौरों में उन्होंने मुख्यत: कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाना बनाया।

इसके साथ ही चुनाव परिणामों से यह भी सामने आएगा कि सूरत की अदालत द्वारा दो वर्ष की जेल की सजा सुनाए जाने और लोकसभा की सदस्यता से सिक्वालिफाई किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली भाजपा की कार्यशैली से क्या जनता की सिम्पैथी मिली है या नहीं?

राहुल गांधी अगले माह कोलार से एक चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत कर रहे हैं। कोलार ही वह निर्वाचन क्षेत्र है, जहां उन्होंने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टिप्पणी की थी और यही टिप्पणी बाद में जाकर मानहानि केस का आधार बनी।

कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने बताया कि ''राहुल गांधी कोलार लौटेंगे और अपनी सत्यमेव जयते रैली की शुरूआत करेंगे। हमने उनसे अनुरोध किया था कि वे अपनी चुनावी यात्रा की शुरूआत वहां से करें, जहां उन्होंने बयान दिया था और भाजपा ने उसकी भर्त्सना की थी। राहुल अपनी महारैली की शुरूआत यहीं से करेंगे।''

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा, विपक्षी कांग्रेस और जे.डी. (एस.) तीन मुख्य पार्टियां हैं जो अपना भाग्य आजमाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दल भी हैं। इस राज्य में जीत हासिल करना जहां इन तीनों पार्टियों के लिए अहम है, वहीं आगामी लोकसभा चुनावों में प्रासंगिक बने रहने को लेकर कांग्रेस और जे.डी. (एस.) के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है।

- **ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता की भी परीक्षा होंगे कि, प्रधानमंत्री की छवि पर गौतम अडानी से संबंध का कितना असर हुआ है।**

कर्नाटक की राजनीति को जो बात इतनी दिलचस्प और महत्वपूर्ण बनाती है, वह शायद ये तथ्य है कि दक्षिण भारत में भाजपा का यह पहला गढ़ है, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अजेय चुनावी राजनीति की अब तक पूरी पकड़ नहीं बन पायी है।

दक्षिण भारत में भाजपा शासित पहला और एक मात्र राज्य कर्नाटक ही है। मोदी और शाह के राष्ट्रीय राजनीति में उभरने से पूर्व ही भाजपा ने इस राज्य में चुनावी जीत दर्ज की थी।

कर्नाटक में भाजपा वर्ष 2004 में ही एक प्रमुख पार्टी बन कर उभरी थी।

लिंगायत समुदाय के दिग्गज नेता बी.एस. येदियुरप्पा यहां भाजपा के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे।

वर्ष 2007, 2008, 2018 और वर्ष 2019 में यहां जीत दिलाने का श्रेय येदियुरप्पा को जाता है और कर्नाटक के इतिहास में यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे एक मात्र व्यक्ति हैं।

कांग्रेस के लिए इन चुनावों में जीत दर्ज करना मायने रखता है क्योंकि ऐसा करके ही वह अपना अस्तित्व बनाए और प्रासंगिक बने रह सकती है।

कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची शनिवार को सबसे पहले जारी की। उसने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैय्या को उनके वरूणा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार को कनकापुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है।

तथापि, जहां कांग्रेस को इस राज्य को भाजपा से पुन: छीनने और जुलाई 2019 में अपमानजनक ढंग से सत्ता से बेदखल किए जाने का हिसाब बराबर करने की उम्मीद है, वहीं जमीनी खबरों से पता चलता है कि कांग्रेस गुटबाजी और आंतरिक संघर्षों में उलझी हुई है।

लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में सामंजस्य की एक प्रकट कमी है, क्योंकि शिव कुमार और सिद्धारमैय्या, दोनों ही मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में प्रस्तुत होना चाहते हैं।

सिद्धारमैय्या जनता की भीड़ को आकर्षित करने वाले और एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, वहीं शिव कुमार की पहचान उनके वित्तीय एवं आपदा प्रबंधन कौशल से है।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि, कांग्रेस के नेता मिलकर काम करने के बजाय, एक-दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं।

ऐसी अटकलें है कि शिव कुमार ने जे.डी. (एस) प्रमुख एच.डी. कुमारास्वामी के साथ यह डील कर ली है कांग्रेस के बहुमत में नहीं आ पाने की स्थिति में वे उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे।

इधर, कुमारास्वामी ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस और भाजपा-दोनों ने ही उन्हें ''पेशकश'' की हैं।

जहां तक भाजपा का प्रश्न है, खासतौर से, लिंगायत समुदाय के दिग्गज नेता येदियुरप्पा को सार्वजनिक रूप से ''शांत'' कर दिये जाने के बाद, भाजपा कुछ ज्यादा व्यवस्थित प्रतीत हो रही है।

बताया जाता है कि येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिये जाने पर लिंगायत समुदाय का एक बड़ा हिस्सा काफी अशांत रहा था।

लेकिन अब, बंजारा, भोवी, कोराचा तथा कोरामा जैसे समुदायों के लोग भाजपा की इस घोषणा का जबरदस्त विरोध करने पर उतारू हैं, जिसके अंतर्गत, 101 जातियों के 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति कोटा में अंदरूनी आरक्षण कर दिया गया है।

भाजपा के बासवराज बोम्मई, जो इस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, ने दावा किया है कि भाजपा निश्चित रूप से जीतेगी।

वे यह कहते हुए उद्धृत किये गये हैं, ''चुनावी मौसम आ गया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा अपने स्तर ही, अकेली ही राज्य में सरकार बना लेगी।''

अमित शाह 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में भाजपा के ''पूर्ण बहुमत'' की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके हैं।

भाजपा सूत्र दावा कर रहे हैं कि पार्टी आधी विधायक संख्या के आंकड़े को ''आसानी'' से पार कर लेगी। 2018 में, भाजपा ने 104 सीटें जीती थीं। यह संख्या आधी सदस्य संख्या से 8 कम थी। इसका नतीजा यह हुआ था कि राज्य में जनता दल (एस) तथा कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी थी तथा कुमारास्वामी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन यह गठबंधन सरकार, कई कांग्रेस एवं जे.डी. (एस) विधायकों द्वारा इस्तीफे दे दिये जाने के कारण, जुलाई 2019 में गिर गई थी। और भाजपा ने येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बना ली थी।

जुलाई 2021 में, 75 वर्ष की उम्र सीमा पार करने के बाद, येदियुरप्पा ने इस्तीफा देकर, बासवराज बोम्मई के लिये रास्ता साफ कर दिया था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908